


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2003]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 29, 2014/आश्विन 7, 1936

No. 2003]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 29, 2014/ASVINA 7, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC
GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

का. आ. 2538(अ).—राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (2003 का 45) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजीव, सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग को श्री प्रदीप कुमार, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की पदावधि पूरी होने के कारण हुई रिक्ति पर, तारीख 29 सितम्बर, 2014 से केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति होने तक, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

S.O. 2538(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the President is pleased to authorise Shri Rajiv, Vigilance Commissioner, Central Vigilance Commission, to act as the Central Vigilance Commissioner, in the vacancy caused due to completion of the tenure of Shri Pradeep Kumar, Central Vigilance Commissioner, with effect from the 29th day of September, 2014, until the appointment of the Central Vigilance Commissioner.

[फा. सं. 399/15/2014-एवीडी-III]

[F. No. 399/15/2014-AVD-III]
JISHNU BARUA, Jt. Secy.

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव